न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
न्याय आपके द्वारः–राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट 2018
बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 48/2018

छोटू पुत्र रूघनाथ आयु 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी नांगलतुलसीदास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.....वादी

बनाम

1. रूडाराम पुत्र गोविन्दा जाति गुर्जर निवासी नांगल तुलसीदास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ऐक्ट0
निर्णय

दिनांक 26.06.2018

वादी की ओर से दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम विवादित कृषि भूमि साबिक खसरा नं0 254 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा भूमि मय गै0मु0चाह हाल खसरा नं0 375 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 377 रकबा 0.44 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषित कराने प्रस्तुत किया गया कि साबिक खसरा नं0 254 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा में वादी का हिस्सा 1/2 अनुसार एवं रूडाराम पुत्र गोविन्दा का हिस्सा 1/2 अनुसार रहा है, जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 रूडाराम पुत्र गोविन्दा ने अपने सहखातेदारी हिस्सा 1/2 अनुसार की भूमि वादी को विक्रय करते हुए, वादी के हित में विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजिबद्ध करा दिया, जिसके मुताबिक ही विवादित भूमि में रूडाराम पुत्र गोविन्दा के विक्रय हिस्सा 1/2 का नामांतरण सं0 268 भरा जाकर वादी के हित में स्वीकृत होकर रूडाराम पुत्र गोविन्दा के स्थान पर जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2055 से 2058 में वादी का राजस्व इन्द्राज खातेदारी कर दिया गया। उक्त वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार एवं मालिक स्वामी वादी अकेला चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

लेकिन सैटलमेंट कार्यवाही में कायम खसरा नं0 375 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 377 रकबा 0.44 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में रूडाराम पुत्र गोविन्दा, भौरी देवी पत्नि गोविन्दा जाति गुर्जर सा0देहा का हिस्सा 1/2 अनुसार वादी के हितों के विरूद्ध त्रूटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया। जो कि वादी के अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैध, त्रूटिपूर्ण व प्रभाव शुन्य है तथा साबिक रिकार्ड मुताबिक ही हक खातेदारी की घोषणा कराने का वादी अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार विचाराधीन रहते उक्त प्रकरण को निस्तारण हेतु न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखा गया, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी को तलब किये जाने पर दोनों पक्षों ने प्रकरण में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रकार से सेटलमेंट कार्यवाही में रिकार्ड त्रूटिपूर्ण होना एवं दूरूस्तीकरण हेतु सहमत होना कथन करते हुए प्रकरण में वादी के पूर्व खातेदारी रिकार्ड अनुसार घोषणा हक खातेदार बाबत निर्णय किये जाने व डिक्री करने में पक्षकार पूर्णतया रजामंद होना कथित किया है तथा पत्रावली में प्रस्तुत हाल जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल, साबिक जमाबन्दी सं0 2055 से 2058 में अंकित नामांतरण सं0 191,268 एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के हित में निष्पादित व पंजिबद्ध विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया, जो कि वादी के हित में साबित होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत विचाराधीन वाद में निर्णय किया जाकर ग्राम नांगल तुलसीदास में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 375 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 377 रकबा 0.44 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को उपरोक्तानुसार वादी का नाम खातेदारी इन्द्राज अमल दरामद करने एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड को दूरूस्तीकरण करने के आदेश दिये जाते है। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर